font>

Title: Need to move Supreme Court to review its judgment declaring lawyers right to strike as illegal.

डॉ महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, समस्त न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों में की जाने वाली हड़ताल को गैर-कानूनी करार देकर दिसम्बर माह 2002 में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जो अधिवक्ताओं के हक में नहीं है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस आदेश के पुनरावलोकन हेतु उच्चतम न्यायालय में केस लगाया जाये। अगर इससे समस्या का समाधान नहीं होता है तो संविधान में संशोधन किया जाये, जिससे अधिवक्ताओं की न्यायोचित मांगें और उनके अधिकार जनतांत्रिक ढंग से उन्हें प्राप्त हो सकें। हमारे देश के अधिवक्ता संविधान के वॉच डॉग के रूप में कार्य करते हैं तथा न्यायालयों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने तथा न्यायोचित न्याय दिलाने में मदद करते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पुनरावलोकन किया जाये तथा यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन कर अधिवक्ताओं की न्यायोचित मांगें एवं उनके अधिकार जनतांत्रिक ढंग से उन्हें दिलाये जायें।